कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1156 / 12-1 देहरादून, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, के अन्तर्गत स्वारना नदी के 23.75है0 वन भूमि क्षेत्र से 10 वर्षो की अवधि के लिए उपखनिज चुगान हेतु वन विकास निगम को अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या–1505/FP/UK/,MIN/20542/2016 दिनॉक–01.12.2016।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/05/166/2016/1320 दिनॉक–18.11.2016 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में ऑनलाईन अपलोड प्रस्ताव में संलग्न आंगणनों के अनुसार देय धनराशियों की गणना का विवरण निम्न प्रकार है–

(अ) प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में जमा की जाने वाली धनराशि :–

शर्त संख्या	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
1	परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 23.75 है0 के सापेक्ष– 47.50 है0 आरक्षित वन सौडा ब्लाक में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षो का रखरखाव का व्यय।	47.50है0	2,30,302.00	1,09,39,345=00
2	एन0पी0बी0 का आगंणन।	23.75है0	7,30,000.00	1,73,37,500=00
	(दो करोड बयासी लाख छियतर हजार आठ सौ पैतालीस) योग–			**2,82,76,845=00**

कृपया उक्त धनराशि निर्दिष्ट खातें में भुगतान करने की कृपा करें।

(ब) प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून को भुगतान की जाने वाली धनराशि :–

शर्त संख्या	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
13	(i)-खनन की निगरानी हेतु अस्थाई बैरियरों की स्थापना।	03	1,50,000.00	4,50,000=**00**
	(ii)-बैरियर स्टाप हेतु पेयजल, वर्दी, जूते,फर्नीचर, लाईट, टॉर्च आदी की व्यवस्था।	10 श्रमिक	Ls	1,50,000=**00**
	(iii)-मजदूरों को देय पारिश्रमिक (अक्टूबर से मई 2017 10x08 माह) प्रति वर्ष देय।	80 माह	7850.00/माह (आउटसोर्स दर)	6,28,000=**00**
17	प्रस्तावित वन भूमि का 04 फुट लम्बे आर0 सी0 सी0 पिलरों से सीमाकन। पिलरों की कीमत, गड्डा खुदान, खम्बों को सी0सी0 में ग्राउट करना तथा ढुलान सहित।	60 पिलर	1200.00	72,000=**00**
22	सेप्टीजौन एरिया ट्रिटमेन्ट हेतु प्रभावित क्षेत्र में वनीकरण–कुल क्षेत्र 5.3 है0।	5.00है0	2,30,302.00	11,51,510=**00**
	(मु0–चौबीस लाख इक्कावन हजार पॉच सौ दस मात्र) योग–			**24,51,510=00**

(स) उक्त के अतिरिक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–05 एवं 08 के अनुसार आंगणित धनराशि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के निर्वतन पर रखी जानी है। **उक्त धनराशि से वन विभाग की देख–रेख में** परियोजना क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं नदी के प्रभावित किनारों पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य (चैकडैम/तार जाल निर्माण) किये जाने है।

शर्त संख्या	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
5	परियोजना क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण एवं उसका रखरखाव।	2.00 है0	2,30,302.00	4,60,604=00
2	नदी के प्रभावित किनारों पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य चैकडैम/तार जाल का निर्माण।	10. न0	100000.00	10,00000=00
	(मु0–चौदह लाख साठ हजार छः सौ चार) योग–			14,60,604=00
कुल आंगणित धनराशि (अ+ब+स) (मु0–तीन करोड़ इक्कीस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ उनसठ मात्र)				3,21,88,959-00

कृपया उपरोक्तानुसार ऑन लाईन चालान जनरेट कर निर्धारित धनराशि का भुगतान करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी झाझरा- सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश की प्रति सहित।

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

ac

प्राप्त किया
Saroj
9/12/16
D.L.M. KHANAN

प्रपत्र सं0—37

परियोजना का नाम— देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेन्ज के अर्न्तगत सोरना नदी के 23.75 है0 क्षेत्र में उपखनिज चुगान की अनुमति के फलस्वरूप परियोजना क्षेत्र के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो के अनुरक्षण व्यय हेतु *स्थल विशिष्ट योजना*।

(देहरादून वन प्रभाग के अर्न्तगत परियोजना से आच्छादित वन क्षेत्र—23.75 है0, प्रस्तावित क्षेत्र—[illegible].00 है0)

क0सं0	कार्य का नाम	नपत/ संख्या	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	
	प्रथम वर्ष				
1	स्थल की सफाई एवं सर्वेक्षण	100.00x100.00	10000.00 sqm	L S	5000.00
2	रोपण क्षेत्र की तार—बाड़ हेतु आर0सी0सी0 खम्भे (6 फुट लम्बे) क्रय करना (1.00 है0 में 180 रमी0 मानक मानते हुये)		60 no.	300	15165.60
3	उक्त खम्भों का ढुलान कार्य लदाई—उतराई सहित (10 से.15 किमी0 दूरी से)		60 no.	20	1200.00
4	उक्त खम्भों को गाड़ने हेतु 1:6:12 सी0मसाले से ग्रोट करना	0.60x0.30x0.30	60 no.	22.70	1362.00
5	तार—बाड़ हेतु 3 लड़ कांटेदार तार खींचना	60.00x3.00	180 mtr.	2.96	532.80
6	उक्त हेतु कांटेदार तार की आपूर्ति कीमत सहित	3x180.00x0.125	67.50 kg	80.00	5400.00
7	स्टेपल आदि क्रय करना	-	5.00 kg	100.00	500.00
8	तार—बाड़ के चारों ओर 1.00 मी0 चौ0 में झाड़ी कटान कार्य	-	180.00 mtr.	1.48	266.40
9	वृक्षारोपण हेतु सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य	-	1.00 Hac.	101.00	101.00
10	रोपण से पूर्व सघन लैन्टाना झाड़ी का कटान कार्य		1.00 Hac.	9899	9899.00
11	चैक प्लाटों का सृजन करना (कोई चैक प्लॉट 2 है0 से अधिक नहीं होगा)		1.00 Hac.	389	389.00
12	रोपण हेतु गड्ढो की निशानदेही करना	-	500 no	19/- hundred	95.00
13	रोपण हेतु गड्ढा खुदान कार्य	0.45x0.45x0.45	500 no	7.94	3970.00
14	गड्ढों में मिलाने हेतु खाद का मूल्य		500 no	34.50/- hundred	172.50
15	गड्ढों का भरान कार्य	0.45x0.45x0.45	500 no	1.93	965.00
16	गड्ढो के भरान हेतु जंगल से खोदकर ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलान कार्य (कुल मात्रा का लगभग 40 प्रतिशत)	500x0.45x0.45x 0.45x40%	18.22 m^3 or say 6 Trally	1000.00	6000.00
17	उक्त मिट्टी का श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान दूरी 150 मी0	18.22x15	273.30 qtl.	53/-qtl./-km	2172.74
18	बीज बुआन/रोपण हेतु दो बार हैरो व चार बार प्लाउ चलाना	-	1.00 Hac.	9867.00	9867.00
19	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	-	1.00 Hac.	7400.00	7400.00
20	औजारों की मरम्मत, चूना, रस्सी आदि पर व्यय		1.00 Hac.	1100.00	1100.00
				Total	71558.04
21	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0—89/3—6—2 दि0—06.08.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईधन संयत्र, सुधारित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्टोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान	-	-	L. S	7000.00
				G.Total	78558.04
	द्वितीय वर्ष				
1	रोपण हेतु पौधों की आपूर्ति करना (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	600 no.	7.15	4290.00
2	उक्त पौधों का ट्रैक्टर द्वारा ढुलान कार्य दूरी 10 किमी0 तक	-	600 no.	163/- hundred	978.00
3	उक्त पौधों का लोडिंग अन लोडिंग कार्य	-	600 no.	60/- hundred	360.00
4	उक्त पौधों का श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान कार्य दूरी 250 मी0 तक	-	600 no.	149.48/- hundred/- km	224.22
5	पौधों का रोपण कार्य (थावला बन्दी एवं स्थानीय ढुलान	-	500 no.	254.56/- hundred	1272.80
6	वृक्षारोपण के पश्चात लैन्टाना युक्त झाड़ी आदि कटान कार्य	-	1.00 Hac.	1728.00	1728.00
7	वृक्षारोपण क्षेत्र में साल भर रोपित पौधों की देख—रेख का कार्य करना (कम से कम 10 हैक्ट0 वृक्षा0 क्षेत्र में 1 श्रमिक)	-	9 months	630.00	5670.00
8	औजारों की मरम्मत, चूना, रस्सी आदि पर व्यय	-	1.00 Hac.	1100.00	1100.00
9	पौधों की दो बार निराई—गुड़ाई व थावला बन्दी कार्य	-	1.00 Hac.	1660.00	1660.00
10	रोपण के पश्चात अग्नि सुरक्षा कार्य	-	1.00 Hac.	104.00	104.00
11	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य (अधिकतम रू0-3600.00 तक)	-	1.00 Hac.	725.00	725.00
12	बीज बुआन/रोपण हेतु 3 मी0 दूरी पर [illegible] (0.30 मी0 से 0.45 मी0 [illegible])	-	1.00 Hac.	2902.00	2902.00
13	उक्त नालियों में डी0ए0पी0 मिलाकर भरान कार्य		1600 mtr	2.10	3360.00
14	उक्त नालियों में 2.50 सेमी0 दूरी पर बीज बोना	-	1 Hac.	473.60	473.60
15	[illegible]		1 Hac.	3000.00	3000.00

16	अन्य व्यय	-	1.00 Hac.	444.00	444.00
17	अन्य आकस्मिक व्यय कन्टेजेन्सी (बीज का ढुलान आदि कार्य)	-	-	L.S	2000.00
				Total	30291.62
18	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0–89/3–5–2 दि0–06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्टोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान	-	-	L.S	7000.00
				G.Total	37291.62

तृतीय वर्ष

1	पौधारोपण (बीटिंगअप) 20 प्रतिशत	60 पौध	60 पौध	2.55	153.00
2	उक्त हेतु पौधों की आपूर्ति कीमत सहित	60 पौध	60 पौध	7.15	429.00
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में साल भर रोपित पौधों की देख–रेख का कार्य करना (कम से कम 10 हैक्ट0 वृक्षा0 क्षेत्र में 1 श्रमिक)	-	12 months	630.00	7560.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र में लैन्टाना झाड़ी आदि कटान कार्य	-	1.00 Hac.	864.00	864.00
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कार्य		1.00 Hac.	104.00	104.00
6	अन्य व्यय (वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना)		1.00 Hac.	444.00	444.00
				Total	9554.00
7	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0–89/3–5–2 दि0–06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्टोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान	-	-	L.S	7000.00
				G.Total	16554.00

चतुर्थ वर्ष

1	(बीटिंगअप) पौधे मूल्य, सिंचाई एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	9554.00
2	मजदूरी–दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				955.40
3	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0–89/3–5–2 दि0–06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्टोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान	-	-	L.S	7000.00
				Total	17509.40

पंचम वर्ष

1	(बीटिंगअप) पौधे मूल्य, सिंचाई एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	10509.40
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				1050.94
3	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0–89/3–5–2 दि0–06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्टोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान	-	-	L.S	7000.00
				Total	18560.34

छटा वर्ष

1	पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय	-	12 months	630.00	7560.00
2	पौधों की अग्नि से सुरक्षा	-	1.00 Hac.	104.00	104.00
					7664.00
3	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				766.40
				Total	8430.40

सातवां वर्ष

1	पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	8430.40
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				843.04
				Total	9273.44

आठवां वर्ष

1	पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय उपरोक्तानुसार	-			9273.44
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				927.34
				Total	10209.78

नवां वर्ष

1	पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	10200.79
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				1020.26
				Total	11220.96

दसवां वर्ष

1	पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	11220.96
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत				1122.26
				Total	12342.95
				G.Total	219941.83
				Say	219906.96

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0– 506/3–5–2 दिनांक–17.08.2015 के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष दर कमटि के निर्धारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण में प्रति हैक्टर आने वाला अनुमानित व्यय– रू0 2,09,000.00

परियोजना क्षेत्र के कुल 20.00 है0 के आस–पास 8.00 है0 चिन्हित खुले वन क्षेत्र में रोपण कार्य पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय–

209000.00 X 8 = 1672000.00 (16.72,000)

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

Estimate of Barbed wire fencing for safti zone at Swarna River

S.N	Particulars of item of work	N0	Dimension in M			Quantity	Rate	DSR-14	Amount
			L	B	H/D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Earth work in excavation in foundation for grouting angle iron post at c/c 3.04 metre.	1	0.45	0.45	0.45	0.09 cum	155.60/-cum	2-6-1	14.00
2	Cement concrete work in 1:3:6 in Cement, coarse sand and 40mm gauge stone ballast including supply of all material , labour, t&p etc for proper completion of the work.	1	0.45	0.45	0.50	0.10 cum	4672.50 /cum	4-1-6	467.25
3	Supply and Fixing (65x65x8) mm angle required size in the pit including to be split and bent at right angle in opposite direction for 10 cm length and drilling holes upto 10 mm dia etc. complete.	1	1.97	-	-	1.97m @ of 7.7 kg per rm = 15.17 kg	70.90/kg	16-19	1075.55
4	Barbed wire fencing with angle iron post placed at required distance. Every 15 post last but one end post and corner post sell be strutted on both side and end post on one side only and provided with horizontal line and two diagonals in inter woven with horizontal wire between two post and fixed with G.I. staples etc including supply of barbed wire complete. Horizontally	5	3.04	-	-	15.20 15.20 rm	12.95 /m	16-18	196.84
								Total	1753.64
									Say 1750.00

There for per running metre of barbet wire fencing = 1750 ÷ 3.04
= 575.66
Say 575/- running metre

The approximate cost of wire fencing for Swarna River = 14134 m @ 575/- rm
= Rs 81,27,050

(मनमोहन लाल)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

वन भूमि से बहने वाली नदियों से बोल्डर, बजरी, रेता आदि उप-खनिजों के चुगान हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तरांचल वन विकास निगम को एन0पी0वी0 की देयता से छूट के सम्बन्ध में दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को [illegible] द्वारा कार्यवृत्त:-

[illegible] न्याय विभाग तथा वन विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री आर0डी0पालीवाल	सचिव, न्याय
2. डा0 एम0सी0जोशी	अपर सचिव, वित्त
3. डा0 आर0बी0एस0रावत	प्रमुख वन संरक्षक
4. श्री के0एल0आर्य	प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम
5. श्री एस0सी0पंत	महा प्रबन्धक, उत्पादन
6. श्री [illegible]	क्षेत्रीय प्रबन्धक, [illegible]
7. श्री के0विद्यासागर	उप वन संरक्षक, मुख्यालय
8. श्री जी0सी0पंत	प्र0व0वि0प्र0(मुख्यालय)

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28 मार्च, 2008 तथा आदेश दिनांक 09 मई, 2008 द्वारा वन भूमि से बहने वाली नदियों से बोल्डर / सिल्ट के चुगान हेतु कतिपय शर्तों के तहत एन0पी0वी0 की देयता में छूट प्रदान की गई है। मा0 न्यायालय के आदेश में मुख्य शर्तें यह है कि उप-खनिजों के चुगान से प्राप्त सेल प्रोसीड्स (Sale Proceeds) को वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु व्यय किया जायेगा तथा उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए किसी अन्य को कोई खनन पट्टा न तो स्वीकृत किया जायेगा और न ही अनुमोदित किया जायेगा।

उक्त क्रम में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. रॉयल्टी सहित समस्त देनदारियां निकालने के पश्चात उप-खनिज के चुगान से प्राप्त सेल प्रोसीड्स (Sale Proceeds) को वन संरक्षण एवं संवर्द्धन में ही प्रयोग किया जायेगा तथा समस्त देनदारियां वहन करने के पश्चात प्राप्त धनराशि वन जमा (Forest Deposit) में डाला जाय।

(कार्यवाही- वन विभाग)

2. उक्त सेल प्रोसीड्स (Sale Proceeds) का वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में उपयोग करने हेतु वार्षिक योजना वन विभाग द्वारा बनाई जायेगी। उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में, सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधित्व सहित एक समिति गठित की जायेगी। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड उक्त समिति के सदस्य सचिव होगें।

(कार्यवाही:- वन विभाग)

3. पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यक्षेत्र में अन्य विभागों से ओवरलैपिंग (Overlapping) की स्थिति न हो।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने तथा निर्णय हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु अपर मुख्य सचिव के निर्देश एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-3460/X-2-2008
देहरादून: दिनांक 24 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
3. अपर सचिव, भूमि हस्तान्तरण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन.
4. बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागी गण.

आज्ञा से,

(सुब्रत विश्वास)
सचिव

छायाप्रति प्रमाणित

प्रादेशिक वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून